भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2245

गुरुवार, 4जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाएं

2245. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉवः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राष्ट्रीयराजमार्गों/एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं की बढ़तीसंख्या का संज्ञान लिया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सड़कदुर्घटनाओं में राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार कितने लोगोंकी मृत्यु हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सड़क दुर्घटनाओं मेंमाने जाने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार कीवित्तीय सहायता योजना उपलब्ध है ताकि मृत व्यक्तिके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान की जासके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार सड़क दुर्घटनाके पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए कोईविधेयक ला रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क)एवं (ख) मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे सहित सभी सड़कों पर सड़क यातायात चोटों का विश्लेषण करता है। पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात् वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की अवधि के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या
2015	146133
2016	150785
2017	147913

राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ)पीड़ितों/पीड़ितों के कानूनी उत्तराधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के लिए मुआवजा, मोटर यान अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं:

i. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार, उन मामलों में जहॉ दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान नहीं हो पाती है और दुर्घटना/बीमाकर्ता करने वाले वाहनों के मालिक की पहचान करना असंभव हो जाता है को 'हिट एंड रन' मामला कहा जाता है। ऐसे मामलों में, दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान,बीमा पॉलिसियों पर अधिरोपित अधिप्रभार के माध्यम से साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

द्वाराबनाई गयी निधि, क्षतिपूर्ति निधि से, विधिवत जॉच-पड़ताल के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया जाता है।

ii. 'कोई दोष नहीं सिद्धांत'(अर्थात् जिनमें पीड़ितों या उनके उत्तराधिकारियों/वारिसों को ऐसी क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए मोटर वाहन की लापरवाही साबित करने की जरुरत नहीं होती है) पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मोटर यान अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत सूचीबद्ध संरचित क्षतिपूर्ति सूत्र के अनुसार एम वी अधिनियम की धारा 163क के अंतर्गत दिया जाता है। मंत्रालय ने 22 मई 2018 को सां.आ. 2022(अ) के तहत द्वितीय अनुसूची अधिसूचित किया है। यह अनुसूची पीड़ित की उम्र और वार्षिक आय को सारणीबद्ध करती है और फिर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए गुणक विहित करती है।

iii. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 भी वाहनों की गलती/लापरवाही के सिद्धांत पर, जैसा भी मामला हो, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) या सिविल न्यायालयों को क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन अनुमत करती है। ऐसे मामलों में, एमएसीटी या न्यायालय बिना किसी सीमा के क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

दिनांक 4.07.2019 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 2245 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की कुल संख्या : 2015-2017

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8297	8541	8060
2	अरुणाचल प्रदेश	127	149	110
3	असम	2397	2572	2783
4	बिहार	5421	4901	5554
5	छत्तीसगढ़	4082	3908	4136-
6	गोवा	311	336	328
7	गुजरात	8119	8136	7289
8	हरियाणा	4879	5024	5120
9	हिमाचल प्रदेश	1096	1271	1203
10	जम्मू और कश्मीर	917	958	926
11	झारखंड	2893	3027	3256
12	कर्नाटक	10,856	11133	10,609
13	केरल	4196	4287	4131
14	मध्य प्रदेश	9314	9646	10,177
15	महाराष्ट्र	13212	12935	12,264
16	मणिपुर	139	81	136
17	मेघालय	183	150	182
18	मिजोरम	72	70	60
19	नागालैंड	30	46	41
20	ओडिशा	4303	4463	4790
21	पंजाब	4893	5077	4463
22	राजस्थान	10510	10465	10444
23	सिक्किम	70	85	78
24	तमिलनाडु	15642	17,218	16,157
25	तेलंगाना	7110	7219	6596
26	त्रिपुरा	158	173	161
27	उत्तराखंड	913	962	942
28	उत्तर प्रदेश	17,666	19320	20124
29	पश्चिम बंगाल	6234	6544	5769
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23	17	21
31	चंडीगढ़	129	151	107
32	दादरा और नगर हवेली	42	46	43
33	दमन और दीव	42	38	36
34	दिल्ली	1,622	1591	1584
35	लक्षद्वीप	0	1	0
36	पुडुचेरी	235	244	233
कुल		**146,133**	**150,785**	**147,913**

*****